आवश्यक शर्तें

1. प्रस्तावित निर्माण भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय, रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 एवं शासनादेश सं. 1882/23-12-1365/17-सी-सी, दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा जारी नवीन गाइड लाइन का पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा उतरौला फैजाबाद इलाहाबाद राज्य मार्ग सं. 9 के मार्ग की मध्य रेखा से रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 में निर्धारित दूरी की भूमि पर अथवा विभागीय भूमि जो भी अधिक हो कि दूरी की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज) एवं राइट आफ वे के बीच 0.60 मीटर पक्की आर.सी.सी. ड्रेन बनायी जाये तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाये, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नालों के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी. नीचा करना होगा। जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ दो प्रतिशत का स्लोप रखना चाहिए जिससे मार्ग के सतह का पानी प्रस्तावित ड्रेन में जा सके।
5. Deceleration and Acceleration lanes का निर्माण पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामी स्वयं की भूमि पर करेगा।
6. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो.नि.वि. पर नहीं होगी भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू-स्वामित्व होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।
7. लो.नि.वि. की सरकारी भूमि जो पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग के रूप में उपयोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व उ.प्र. सरकार का ही रहेगा साथ ही लीज रायल्टी भी निर्धारित प्रारूप में भू-स्वामी को करना होगा।
8. IN and EXIT हेतु साइनबोर्ड इस प्रकार लगाया जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे।
9. उक्त निर्माण कार्य ग्रामीण कृषि क्षेत्र में किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग की भूमि में अस्थायी/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जायेगा नहीं कोई सइन बोर्ड आदि लगाया जाये।
11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी तो चौड़ीकरण हेतु भूमि आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित भूमि पर किया गया निर्माण हटाना होगा तथा आयल कम्पनी/पम्प मालिक इस आशय का एक शपथ पत्र भी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
12. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
13. निर्गत की जाने वाली N.O.C प्रोविजनल N.O.C होगी। प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रोविजनल N.O.C मिलने के 06 माह के अन्दर करना होगा। अंतिम सूचना स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण पूर्ण कराने के उपरान्त एक माह के अन्दर उपरोक्त शासनादेश के पैरा 12.2 के अनुसार आवेदन किये जाने पर दी जायेगी। प्रोविजनल N.O.C मिलने के एक वर्ष के अन्दर निर्माण हेतु पुनः सक्षम अधिकारी से N.O.C प्राप्त करनी होगी।
14. आवेदक आयल कम्पनी ईंधन स्टेशन का संचालन निर्माण पश्चात सक्षम प्राधिकारी से अंतिम सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे।
15. उपरोक्त सभी निर्देशों अथवा एक भी निर्देश एवं उक्त शासनादेश का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और विभाग के विरुद्ध कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता।

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो० नि० वि०, गोण्डा

अधिशासी अभियन्ता, नि० खं०-1, लो० नि० वि० गोण्डा

अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो० नि० वि०, गोण्डा

NOTES :-

1. V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. F = FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE U/G TANK & D/U.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S.: 10987 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) P/MISC 94 DATED-24.02.99.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B. SAND BUCKET 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER. 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTIONED AT A CONTROLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
15. FEBRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS: 20KL.SHELL-6MM END - 8MM
16. TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
17. ALL LIGHT POLES AER FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED:26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC.1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV - EXTENDED VENT POINT
    E = EXTENDED FILL POINTS.
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES .
23. PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR

DETAIL OF DISPENSER

Sr.No.	TYPE OF DISPENSER
1	1 MPD MS/HSD
2	1 MPD MS/HSD

DETAIL OF TANKS

Sr.No.	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT

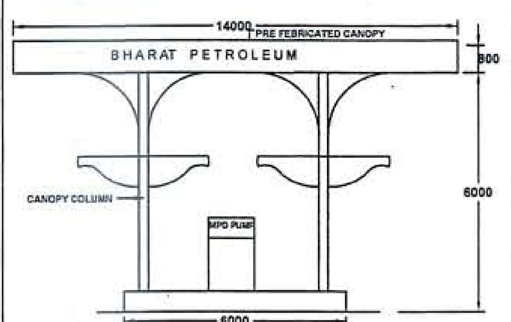

CANOPY SECTION
CCOE.APPROVAL NO.
G-40(NC)P-40 DT.26.07.1989

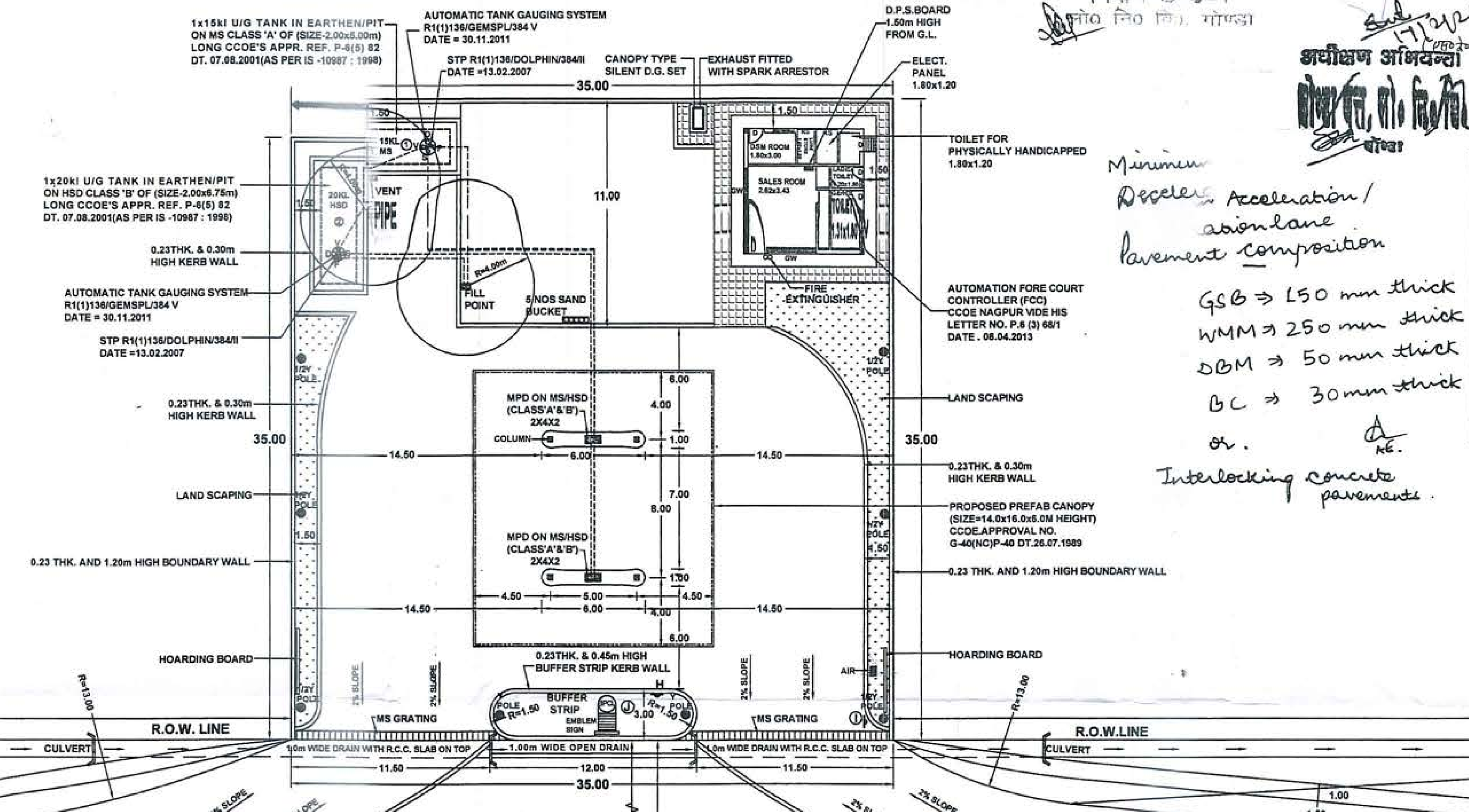

LAYOUT PLAN
Scale= 1:200
Dimension in Mts

Minimum Deceleration/Acceleration lane Pavement composition
GSB ⇒ 150 mm thick
WMM ⇒ 250 mm thick
DBM ⇒ 50 mm thick
BC ⇒ 30mm thick
or.
Interlocking concrete pavements.
AE.

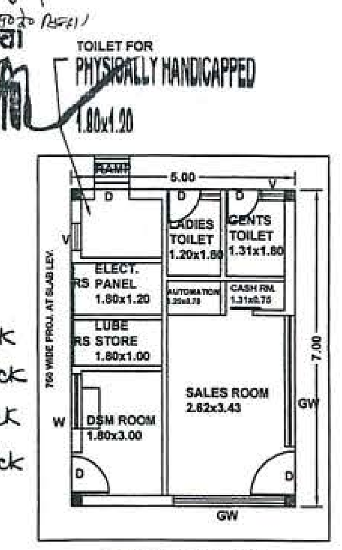

SALES BUILDING DETAIL

LOCATION -VILLAGE -BAHADURA
DISTT. - GONDA (U.P.)

M/s

LICENCE NO.

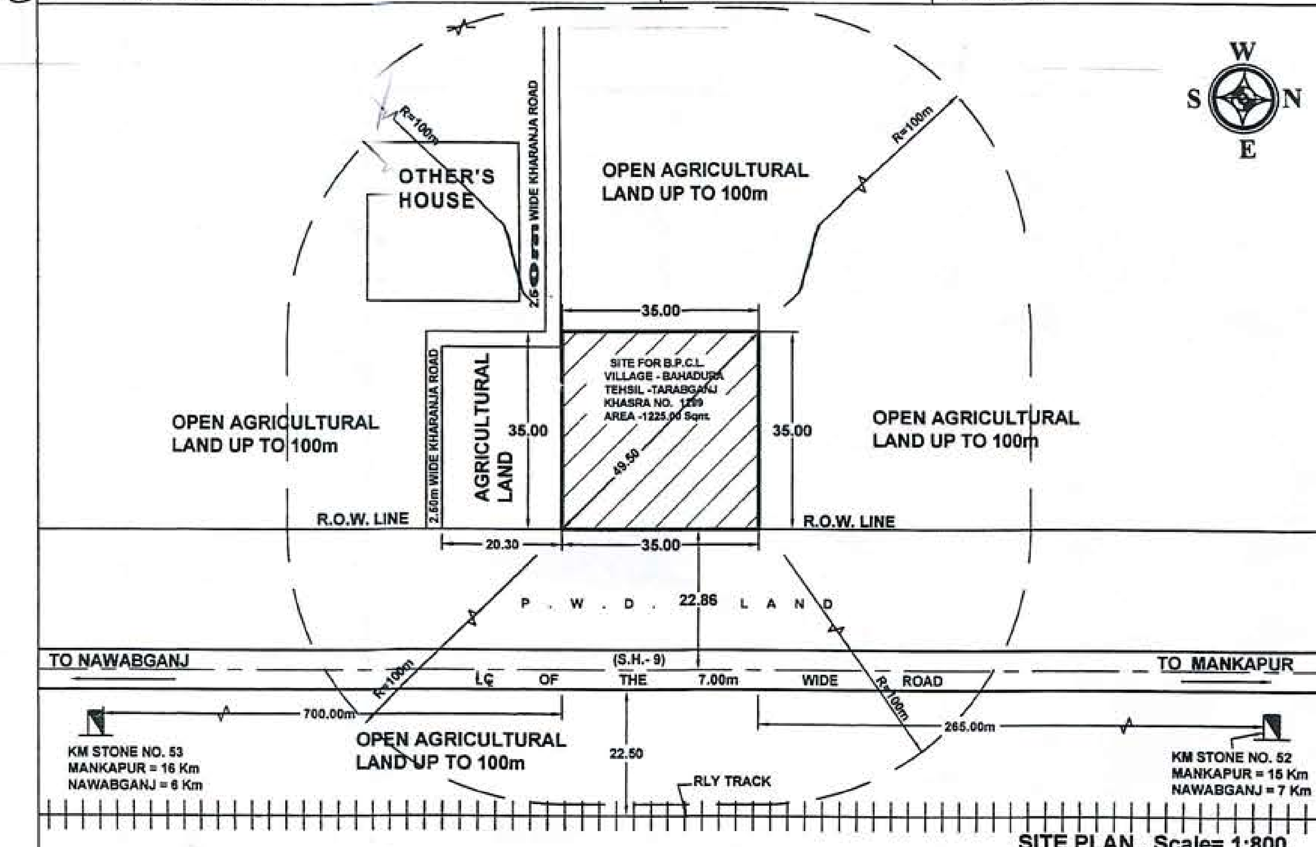

SITE PLAN , Scale= 1:800
Dimension in Mts

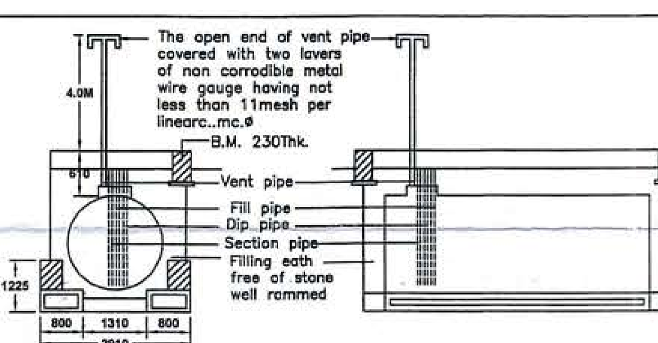

SECTION ON 'B-B'
SCALE - NTS

SECTION ON 'C-C'
SCALE - NTS

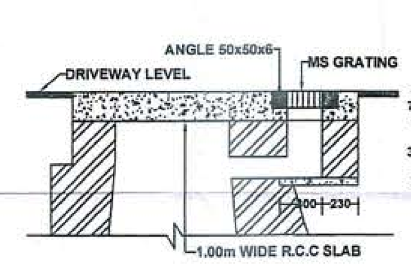

SECTION FOR R.C.C. CULVERT
Scale - NTS, Dimension are in mm

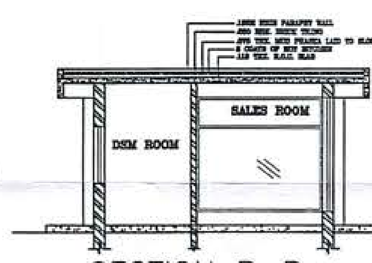

SECTION B–B

FRONT ELEVATION

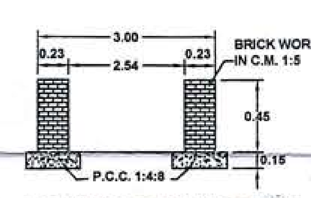

SECTION FOR BUFFER STRIP
Scale - NTS, Dimension are in mm

S.H. / M.D.R./ O.D.R./ NOTES :-

1. - ACCESS ROADS SHOULD HAVE MIN PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB,250 MM WMM,50 MM DBM AND 30 MM BC
2. - ALL PAVEMENT MARKINGS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 35.
3. - ALL TRAFFIC SIGNS SHOULD BE AS PER LATEST IRC 67 AND LATESTIRC SP- 55. IN CASE OF A FUEL STATION LOCATED ON THE OTHER SIDE OF TRAVEL DIRECTION THE USER SHOULD BE INFORMED OF THE LOCATION OF THE FUEL STATION IN HIS/ HER DIRECTION OF TRAVEL THROUGH INFORMATION SIGNS AS SHOWN INTHE TABLE OF THIS DRAWING.
4. - THE LENGTH OF SEPARATOR ISLAND SHOULD BE DETERMINED AS PER SITE CONDITION. ITS MINIMUM WIDTH SHOULD BE 3M.
5. - THE SEPARATOR ISLAND AND BUFFER STRIP SHALL BE TURFED WITH PROVISION OF 275MM HIGH KERBS.
6. - SLAB.CULVERTS WITH GRATTINGS TO BE PROVIDED IN THE LINE OF STORM WATER DRAIN ON ENTRY AND EXIT APPROACHES TO CATER TO THE EXPECTED DISCHARGE.
7. - ALL DIMENSIONS ARE IN METRE UNLESS OTHEER WISE SPECIFIED .

TRAFFIC SIGNS - : (IRC 67:2001 AND IRC SP 55:2001)

Ⓐ	FUEL STATION AHEAD AT 1 Km & 500 m	Ⓕ	NO ENTRY	
Ⓑ	FUEL STATION	Ⓖ	COMPULSORY DIECTION CONTROL	
Ⓒ	FUEL STATION AHEAD	Ⓗ	NO RIGHT TURN	
Ⓓ	GIVEWAY	Ⓘ	NO LEFT TURN	
Ⓔ	ON- EWAY	Ⓙ	FUEL STATION BOARD	

SITE INFORMATION

PLOT AREA	1225.00 Sqmt.
KHASRA NO.	1299
LOCATION	BAHADURA
PARGANA	NAWABGANJ
TEHSIL	TARABGANJ
POST OFFICE	KISHUNDASPUR
POLICE STATION	WAZIR GANJ
RAILWAY STATION	TIKARI
DISTRICT	GONDA
STATE	UTTAR PRADESH
PIN CODE	271 303
NEAR KM STONE NO.	52
ROAD NAME	S.H.-9

REVISION DRG. NO.	DATE	ZONE OR PART	BRIEF RECORD	INITIALS

REVISIONS

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
(MARKETING - DIVISION)

Subject-: Layout Plan of a Retail Outlet

On Mankapur - Nwabganj Road ,At -Village - Bahadura ,Tehsil - Tarabganj ,District - Gonda, Near Km. Stone No.52 (S.H.-9) (Chainage - 52+ 249.00)

Distt.- Gonda (U.P.) | At.- Village - Bahadura

DATE– 16.02.2020	CHIEF ENGINEER	DIV./MANAGER
SCALE 1 : 200		
DRAWN Arvind Kumar	TRACED	CHECKED

16.02.20	BPCL/G52/2020
DATE	DRAWING NO.

NUMBERS CROSSED OUT ARE SUPERSEDED DRAWING NO.

BPCL/G52/2020
DRAWING NO.

6/9/21
अजय सी रूगे / Ajay C Ruge
प्रादेशिक प्रबन्धक (खुदरा) / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited

अभिनव एस. ए. टिर्की
Abhinav S. A. Tirkey
वरिष्ठ प्रबन्धक इंजीनियरिंग (रिटेल)
Sr. Manager Engg. (Retail)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ
Bharat Petroleum Corporation Ltd., Lucknow

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांकः 4235 दे0क्षे0 / पे0पा0अ0 दे0क्षे0 / 2021 दिनांकः-30/6 /2021

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद गोण्डा।

विषयः—उतरौला—फैजाबाद—इलाहाबाद (राज्य मार्ग संख्या—9) के किमी0—53 के चैनेज 52.249 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—आपका पत्र संख्या—18 / जे.ए.(अना.प्र.पत्र) / 20 दिनांक—02.07.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक—2807 / 114काम—गो0वृ0 / 2021 दिनांक 30.06.2021 उतरौला—फैजाबाद—इलाहाबाद (राज्य मार्ग संख्या—9) के किमी0—53 के चैनेज 52.249 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:—

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प उतरौला—फैजाबाद—इलाहाबाद (राज्य मार्ग संख्या—9) के किमी0—53 के चैनेज 52.249 पर सड़क के मध्य भाग से दांयी ओर स्थित ग्राम व पोस्ट बहादुरा, परगना नवाबगंज, तहसील—तरबगंज, जिला—गोण्डा में स्थित भूमि गाटा संख्या—1299 के आंशिक भाग पर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।

2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से दांयी ओर 22.86मीटर(75.00फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर0सी0सी0 पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0—3 ह्यूम पाइप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण पेट्रोल / डीजल पम्प स्वामी स्वंय की भूमि पर करेगा।
7. भू—स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू—स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू—स्वामित्व होने, संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट—1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।
10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—1, लो0नि0वि0 गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट / मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।

6/9/21
अजय सी रूगे / Ajay C Ruge
प्रादेशिक प्रबन्धक (खुदरा) गोण्डा | Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड | Bharat Petroleum Corporation Limited

—PTO—

11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. **यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है** अन्तिम एन0ओ0सी0 ऑयल कम्पनी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर 6 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन करने पर 30 दिन के अन्दर प्रदान की जा सकेगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–17974एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री सिया राम पुत्र श्री राम तिलक, निवासी–टी–95 ए0सी0एल0 हाउस गुज्जर डेयरी, गौतम नगर, साउथ दिल्ली, दिल्ली पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य खुला/कृषि क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स–III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100/–(आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।

संलग्नकः– मानचित्र मूल में।

30/6/2021

अरविन्द कुमार (जैन)
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

30/6/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–2807/114काम–गो0वृ0/2021 दिनांक 30.06.2021 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा।

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

6/9/21

अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited